तारीख हुक्म	6/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/1/18	आज पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्टस द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/6/17 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21/12/17 के विरुद्ध इकजाई एक ही अपील दिनांक 04/1/2018 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। चूंकी प्रकरण में रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री निर्मल कुमार जैन अधिवक्ता द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत था, जिस पर केवियटर को अपील प्रस्तुत होने पर नोटिस जारी किये गये। केवियटर की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दो निर्णय व दो डिक्री के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपील संधारण योग्य नही होने से खारिज फरमाई जावे। उक्त प्रारम्भिक आपत्ति पर पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने एक दृष्टांत 2014 (2) ऐपेक्स कोर्ट जजमेन्ट - 584 (S.C.) को उद्धरित करते हुये उसके हेड नोट - 4 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर कथन मे निवेदन किया कि [illegible]	

नियम स्थापित हुये है वे पक्षकारो के मूलभूत अधिकारो के व्यक्ति न्याय हेतु स्थापित हुये है, अत: इस तथ्य के विपरित कि अपीलार्थी द्वारा दो आदेशो के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है, को नजरअन्दाज कर प्रकरण मे न्यायहित मे गुणावगुण पर पक्षकारान को सुना जावे। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान् जाब्ता दीवानी की धारा 96 की ओर आकर्षित कर बहस में निवेदन किया कि उक्त धारा में ऑरिजनल डिक्री के विरुद्ध अपीलो के प्रावधान उल्लेखित है, जिसमे स्पष्ट अँकित है कि प्रत्येक डिक्री जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई है, के विरुद्ध अपील होगी, जिसका तात्पर्य यही है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश व डिक्री के विरुद्ध पृथक-पृथक अपील प्रस्तुत की जावेगी। अत: अपीलार्थी द्वारा जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दो निर्णय व दो डिक्री के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है, वह संधारण योग्य नही है। अत: खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषकु पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6 / 2018	

यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/6/17 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21/12/17 के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत कर दोनो आदेशो के विरुद्ध अनुतोष चाहा है। इस संदर्भ में धारा 96 जाप्ता दीवानी निम्न प्रकार है:- "An appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorised to hear appeals from the decisions of such court." इसी संदर्भ मे हमारे ध्यान मे माननीय राजस्व मण्डल का एक दृष्टांत जो RRD 1983 पृष्ठ 811 मे माननीय सदस्यो द्वारा उद्धरित किया गया है वह निम्न प्रकार है:- "appellants, if wanted to challenge both order should have filed two appeals and ~~not~~ one appeal against judgment of two appeal, not maintainable — Appeal, dismissed as incompetent — 1979 RRD 892 58 (holding that one revision against two distinct order, not maintainable), held applicable in matters of appeals also."

अतः उपरोक्त प्रावधानो के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित दो निर्णयो या दो डिक्रियो के विरुद्ध इकजाई अपील (एक ही अपील) संधारणीय

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामकिशोर | महेन्द्र

तारीख हुक्म	6/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी संधारणीय योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश आज दिनांक 31/1/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	